समाहरणालय, जमुई
(बाल संरक्षण इकाई)

पत्रांक 166 /बा0 सं0 दिनांक 21/07/2015

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई,
जमुई।

सेवा में,

अध्यक्ष,
उच्च स्तरीय समिति
(संविदा पर नियोजित कर्मियों के नियमितिकरण हेतु)
बिहार, पटना।

विषयः– समिति के समक्ष संविदा पर नियोजित कर्मियों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– समाज कल्याण निदेशालय का पत्रांक 1347 दिनांक 16.07.2015।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से संबंधित संविदा पर नियोजित कर्मीयों जिनका नियोजन विज्ञापन के माध्यम से मेधा सूची के अनुरुप जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से किया गया है से संबंधित सूचना विहित प्रपत्र में बिन्दुवार तैयार कर इस कार्यालय के पत्रांक 165 दिनांक 20.07.2015 द्वारा निदेशालय को उपलब्ध करायी जा चुकी है, भेजी गयी सूचना पुनः इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक :– 1. 20 बिन्दु पर प्रतिवेदन कुल 04 पन्ने।
1. अनुलग्नक से संबंधित कागजात कुल 106 पन्ने।

विश्वासभाजन,

21/7/15

सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई
जमुई।

510-506
22/7/15

Rajnish

समाहरणालय, जमुई
(बाल संरक्षण इकाई)

पत्रांक 165 /बा० सं० दिनांक 20.07.2015

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
जमुई।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण निदेशालय,
बिहार, पटना।

विषयः— समिति के समक्ष संविदा पर नियोजित कर्मियों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :— आपका पत्रांक 1347 दिनांक 16.07.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में संविदा पर नियोजित कर्मीयों जिनका नियोजन विज्ञापन के माध्यम से मेधा सूची के अनुरुप जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से किया गया है से संबंधित सूचना विहित प्रपत्र में बिन्दुवार तैयार कर इस पत्र के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक :— 1. 20 बिन्दु पर प्रतिवेदन कुल 04 पन्ने।

1. अनुलग्नक से संबंधित कागजात कुल ...906 पन्ने।

विश्वासभाजन,
17/7/15
जिला पदाधिकारी,
जमुई।

Rajnish

समाहरणालय, जमुई
(जिला बाल संरक्षण इकाई)

नियोजित कर्मीयों से संबंधित 20 बिन्दुओं पर सूचना :–

क्र0	नियोजित कर्मी से संबंधीत मामले का विवरण	उत्तर
1.	प्रत्येक पद जिस पर नियोजन किया गया है।	1. जिला प्रोवेशन पदाधिकारी (विधि) 2. जिला प्रोवेशन पदाधिकारी (मनोविज्ञान) 3. विधि विशेषज्ञ :– 4. सामुदायिक कार्यकर्त्ता :– 5. अनुसेवक सह रात्रि प्रहरी :–
2.	पदवार कुल नियोजित कर्मियों की संख्या एवं कार्यरत कर्मियों की संख्या	1. जिला प्रोवेशन पदाधिकारी (विधि) नियोजित – 0 कार्यरत – 0 2. जिला प्रोवेशन पदाधिकारी (मनोविज्ञान) नियोजित – 1 कार्यरत – 0 3. विधि विशेषज्ञ :– 4. नियोजित – 0 कार्यरत – 0 सामुदायिक कार्यकर्त्ता :– 5. नियोजित – 3 कार्यरत – 1 6. अनुसेवक सह रात्रि प्रहरी :– नियोजित – 3 कार्यरत – 1
3.	किस योजना/परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया गया था तथा वह योजना केन्द्रीय थी अथवा राज्य की योजना	नवगठित जिला बाल संरक्षण इकाई अंतर्गत विभागीय निदेशानुसार संविदा पर नियोजन किया गया था।
4.	नियोजन का पद किस श्रेणी का था	विभागीय पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है।
5.	क्या यह पद स्वीकृत था। अगर हॉं तो स्वीकृत्यादेश/पद सृजन आदेश	निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय के पत्रांक 369 दिनांक 09.12.2011 द्वारा नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।
6.	क्या प्रत्येक बार नियोजन रिक्ति के विरुद्ध हुआ था अथवा नहीं।	हॉं।
7.	नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/नोटिस इत्यादि की छाया प्रति।	समाज कल्याण निदेशालय से प्रकाशित विज्ञापन एवं पुनः संशोधित विज्ञापन की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।
8.	नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया	जिला पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में गठित द्वारा निदेशानुसार प्रत्येक पद के लिए निर्धारित अहर्त्ता के आधार पर तैयार मेघा सूची के माध्यम से।
9.	पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्त्ता	1. जिला प्रोवेशन पदाधिकारी (विधि) :– एल0 एल0 बी में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता। 2. जिला प्रोवेशन पदाधिकारी (मनोविज्ञान) :– मनोविज्ञापन में स्नातकोत्तर 3. विधि विशेषज्ञ :– एल0 एल0 बी0 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता। 4. सामुदायिक कार्यकर्त्ता :– स्नातक उत्तीर्ण 5. अनुसेवक सह रात्रि प्रहरी :–मैट्रीक अथवा समकक्ष
10.	क्या नियोजित कर्मी वांछित पदयीय अहर्त्ता रखते हैं अथवा नहीं।	हॉं।

Rajnish

11.	नियोजन के समय आरक्षण के नियम का पालन हुआ है अथवा नहीं।	विभागीय निदेशानुसार आरक्षण नियम का पालन किया गया था।
12.	नियोजन हेतु नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी	जिला पदाधिकारी, जमुई।
13.	उपर्युक्त नियुक्त/नियोजन पदाधिकारी को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति प्रदत्त थी अथवा नहीं।	निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय के पत्रांक 369 दिनांक 09.12.2011 द्वारा नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।
14	नियोजन पत्र/अनुबंध पत्र का नमूना	संलग्न है।
15	प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि	एक वर्ष
16.	प्रत्येक अवधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक	कार्य का संतोषप्रद होना।
17	प्रत्येक सेवावधि विस्तार आदेश का नमूना	संलग्न है।
18.	प्रत्येकपदवार मानदेय/पारिश्रमिक/वेतन इत्यादि भुगतेय राशि	जिला प्रोवेशन पदाधिकारी (विधि) :– 10,000/– प्रति माह जिला प्रोवेशन पदाधिकारी (मनोविज्ञान) :– 10,000/– प्रति माह विधि विशेषज्ञ :– 10,000/– प्रति माह सामुदायिक कार्यकर्त्ता :– 5000/– प्रति माह अनुसेवक सह रात्रि प्रहरी :– 3000/– प्रति माह
19.	जिस शीर्ष/मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी	शीर्ष – मॉग संख्या :– 51 यूनिट :– 2801
20	जिस नियमावली/संकल्प/परिपत्र के अंतर्गत इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया हुई है उनकी छाया प्रति।	निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय के पत्राकं 369 दिनांक 09.12.2011।

13.7.15
सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई
जमुई

13/7/15
जिला पदाधिकारी,
जमुई।

Rajnish

समाहरणालय, जमुई
(बाल सरक्षण इकाई)

नियोजित कर्मीयों से संबंधित 20 बिन्दुओं पर सूचना :–

क्र0	नियोजित कर्मी से संबंधीत मामले का विवरण	उत्तर
1.	प्रत्येक पद जिस पर नियोजन किया गया है।	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर
2.	पदवार कुल नियोजित कर्मियों की संख्या एवं कार्यरत कर्मियों की संख्या	1. नियोजित कर्मियों की संख्या :– 3 2. कार्यरत कर्मियों की संख्या :– 3
3.	किस योजना/परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया गया था तथा वह योजना केन्द्रीय थी अथवा राज्य की योजना	जिला बाल संरक्षण इकाई, जमुई, जिला बाल कल्याण समिति, जमुई एवं किशोर न्याय परिषद, जमुई के कार्यों के सूचारु रुप से निष्पादन एवं ट्रैक द चाईल्ड में गुमशुदा बच्चों आदि से संबंधित सूचना अपलोड करने हेतु।
4.	नियोजन का पद किस श्रेणी का था	विभागीय पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है।
5.	क्या यह पद स्वीकृत था। अगर हाँ तो स्वीकृत्यादेश/पद सृजन आदेश	निदेशक समाज कल्याण निदेशालय सह उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 582 दिनांक 22.12.2014 द्वारा नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।
6.	क्या प्रत्येक बार नियोजन रिक्ति के विरुद्ध हुआ था अथवा नहीं।	हाँ।
7.	नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/नोटिस इत्यादि की छाया प्रति।	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी द्वारा कार्यपालक सहायक के नियोजन हेतु ऑन–लाईन आवेदन–पत्र आमत्रंण द्वारा। ऑन–लाईन समर्पित आवेदन–पत्र की छाया प्रति एवं सामाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन की छाया प्रति संलग्न।
8.	नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया	जिला पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा टाईपिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के माध्यम से जिला में तैयार कार्यपालक सहायक के पैनल से। प्रकाशित मेघा सूची का संबंधित पेज एवं नियुक्ति पत्र आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।
9.	पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्त्ता	मैट्रीक अथवा समकक्ष
10.	क्या नियोजित कर्मी वांछित पदयीय अहर्त्ता रखते हैं अथवा नहीं।	नियोजित कर्मी वांछित पदीय अहर्त्ता रखते हैं।
11.	नियोजन के समय आरक्षण के नियम का पालन हुआ है अथवा नहीं।	चूँकि कार्यपालक सहायकों का नियोजन जिला स्तर पर तैयार कार्यपालक सहायक के पैनल से किया गया है और कार्यपालक सहायक के पैनल से नियोजन के समय नियमानुसार आरक्षण नियम का भी पालन किया गया है।
12.	नियोजन हेतु नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी	जिला पदाधिकारी, जमुई
13.	उपर्युक्त नियुक्त/नियोजन पदाधिकारी को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति प्रदत्त थी अथवा नहीं।	निदेशक समाज कल्याण निदेशालय सह उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 582 दिनांक 22.12.2014 द्वारा नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।
14	नियोजन पत्र/अनुबंध पत्र का नमूना	अनुलग्नक संलग्न है।

Rajnish

15	प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि	एक वर्ष
16.	प्रत्येक अवधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक	कार्य का संतोषप्रद होना।
17	प्रत्येक सेवावधि विस्तार आदेश का नमूना	अभी एक वर्ष पूरा नहीं हुआ है।
18.	प्रत्येकपदवार मानदेय/पारिश्रमिक/वेतन इत्यादि भुगतेय राशि	1. जिला बाल संरक्षण इकाई :– 10,000/– 2. किशोर न्याय परिषद, जमुई :– 9000/– 3. बाल कल्याण समिति, जमुई :– 9000/–
19.	जिस शीर्ष/मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी	जिला बाल संरक्षण इकाई, जमुई, किशोर न्याय परिषद, जमुई एवं बाल कल्याण समिति, जमुई के संधारणार्थ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के मानदेय भुगतान मद से।
20	जिस नियमावली/संकल्प/परिपत्र के अंतर्गत इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया हुई है उनकी छाया प्रति।	निदेशक समाज कल्याण निदेशालय सह उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 582 दिनांक 22.12.2014 द्वारा नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

17/7/15

जिला पदाधिकारी,
जमुई।

Rajnish

**ज्ञापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संधारित है।